रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD No D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2000/अग्रहायण 3, 1922
No. 270] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2000/AGRAHAYANA 3, 1922

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग)

(औषधीय पादप प्रकोष्ठ)

संकल्प

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2000

विषय :—औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना।

फा. सं. जेड. 18020/19/97-औ.पा. प्रकोष्ठ.—1. चूंकि, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग और संगठन औषधीय पादपों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक पणधारी द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों से संबंधित समन्वय और संपर्क को सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस की गई है; तथा चूंकि, हमारे संसाधनों की कमी और अपकर्ष, गुणवत्तायुक्त कच्ची औषधियों के लगातार उपलब्ध न होने, ऊंची और अस्थिर कीमतों, अनुपयुक्त विपणन, संगठित कृषि के अभाव और निर्यात बाजार में कम भागीदारी के बारे में चिंता व्यक्त की गई है।

2. और चूंकि, ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श के पश्चात् भारत सरकार का यह विचार है कि नीति बनाने, औषधीय पादपों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय और उनके विकास तथा निरंतर प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर का निकाय स्थापित किया जाना चाहिए।

3. इसलिए, भारत सरकार ने अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री की उपाध्यक्षता में औषधीय पादप बोर्ड नामक स्वतंत्र निकाय स्थापित करने का निर्णय किया है। इसके अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :--

(i) सचिव भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग; सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय; सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग; सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग; सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग; सचिव वाणिज्य विभाग; सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग; सचिव, व्यय विभाग; सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग सचिव, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग तथा सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय पदेन सदस्य के रूप में।

(ii) मेडिको-एथ्नोबॉटनी, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के फार्मेस्युटिकल उद्योग, विपणन और व्यवसाय, कानूनी मुद्दों और पेटेन्टों के क्षेत्र में सुविज्ञता प्राप्त चार नामित सदस्य।

(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी की औषधियों के निर्यातकों, औषधीय पादपों के संबंध में जागरूकता पैदा करने और उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए उत्तरदायी गैर-सरकारी संगठनों, औषधीय पादपों को उगाने वालों, औषधीय पादपों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने वाले वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार नामित सदस्य।

(iv) औषधीय पादपों से संबंधित परिसंघों/सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो नामित सदस्य।

(v) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग की अनुसंधान परिषदों का एक सदस्य, भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला/ होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद का एक सदस्य और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य (हर दो वर्ष में बारी-बारी से) ।

(vi) संयुक्त सचिव, भारत सरकार के ग्रेड में मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सदस्य- सचिव।

4. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग की अध्यक्षता में गठित स्थायी वित्त समिति बोर्ड की सहायता करेगी।

5. औषधीय पादप बोर्ड को अपना कार्य चलाने के लिए औषधीय पादपों की कृषि, अनुसंधान, मांग और पूर्ति, पेटेन्टों/बौद्धिक संपदा अधिकारों ; निर्यात/आयात आदि में लगे विभागों/संगठनों/राज्य सरकारों को शामिल करने और अपेक्षित मामले सौंपने का प्राधिकार होगा। संकल्प के अधिसूचित होने के शीघ्र बाद संबंधित समिति के लिए संबंधित विभागों द्वारा मुहैया कराए गए प्रशासनिक/तकनीकी विशेषज्ञों से बनाई गई निम्नलिखित समितियों से नीचे उल्लिखित के अनुसार बोर्ड कार्य करना आरंभ करेगा :-

(i) दुर्लभ और संकटापन्न किस्मों के संरक्षण सहित औषधीय पादपों की कृषि पर समिति

- आयुक्त(बागवानी), कृषि और सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय	संयोजक
- भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य

-	पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
-	ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
-	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि	सदस्य
-	जनजातीय कार्य मंत्रालय/भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित(ट्राइफेड) का प्रतिनिधि	सदस्य
-	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि	सदस्य
(ii)	**अनुसंधान समिति**	
-	सलाहकार जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	संयोजक
-	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
-	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
-	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि	सदस्य
-	पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
-	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि	सदस्य
-	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	**मांग एवं आपूर्ति समिति**	
-	सलाहकार (आयुर्वेद), भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग	संयोजक
-	वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
-	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
-	पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
-	लघु उद्योग विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
-	जनजातीय कार्य मंत्रालय/भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित(ट्राइफेड) का प्रतिनिधि	सदस्य
-	आयुर्वेदिक औषध उत्पादक संघ, मुंबई एवं अध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय आधार पर चुने गए चार उद्योगों के प्रतिनिधि	सदस्य

(iv) पेटेन्ट/बौद्धिक संपदा अधिकार समिति

-	निदेशक, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग या नामित व्यक्ति	संयोजक
-	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
-	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
-	कृषि और सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
-	पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
-	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि	सदस्य
-	राष्ट्रीय सूचना- विज्ञान केंद्र का प्रतिनिधि	सदस्य

(v) निर्यात/आयात समिति

-	वाणिज्य मंत्रालय (नामित व्यक्ति)	संयोजक
-	पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
-	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
-	केमेक्सिल, मुंबई का प्रतिनिधि	सदस्य
-	भारतीय निर्यात आयात बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
-	केंद्रीय/राज्य सरकार की निर्यात एजेन्सियों का प्रतिनिधि	सदस्य
-	अध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय आधार पर यथानिर्धारित उद्योगों के 4 प्रतिनिधि	सदस्य

6. पहचाने गए विभाग संबंधित समितियों को चलाने के लिए अपेक्षित प्रशासनिक/तकनीकी स्टाफ की सहायता भी मुहैया कराएंगे। बोर्ड को इन समितियों को चलाने के लिए ऊपर उल्लिखित विभागों के अलावा, जैसा उपयुक्त समझा जाए, अन्य संबंधित विभाग/संगठन को सम्मिलित करने तथा परामर्शदाता और संविदात्मक सचिवीय स्टाफ नियुक्त करने के लिए समिति को प्राधिकृत करने का अधिकार है।

7. बोर्ड को संबंधित संगठनों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रितों के रूप में आमंत्रित करने का प्राधिकार होगा।

बोर्ड को उसे सौंपे गए कार्य को निष्पादित करने के लिए अपनी कार्यविधि को विनियमित करने का

प्राधिकार होगा तथा यह डाटा एकत्र करने, नीति संबंधी कागजात और प्रवर्तक सामग्री तैयार करने को सुकर बनाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को काम सौंप सकता है। बोर्ड को उसका प्रतिनिधित्व करने वाले सरकार के 6 मंत्रालयों/विभागों नामतः भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग; व्यय विभाग; कृषि और सहकारिता विभाग और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित निबंधन और शर्तों पर बोर्ड के संकल्प द्वारा परामर्शदाताओं को नियुक्त करने का अधिकार होगा। ये मंत्रालय/विभाग परामर्शदाताओं की अर्हता, अनुभव और पारिश्रमिक तथा पद को भरने के तरीके का निर्धारण करने के लिए सक्षम होंगे।

बोर्ड को बोर्ड के समग्र बजट में से स्थान किराए पर लेने और कार्यालय उपस्करों के लिए निवेश करने का भी अधिकार होगा, बशर्ते कि ऐसे व्यय की उच्चतम सीमा प्रत्येक वर्ष के बजट के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित हो। बोर्ड के उत्तरदायित्व का विवरण संकल्प के साथ लगाई गई अनुसूची में दिया गया है।

8. बोर्ड का व्यय केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

9. बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

10. बोर्ड इस संकल्प के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से स्थापित होगा और कार्य करना आरंभ कर देगा।

एल. प्रसाद, संयुक्त सचिव

उपाबंध

(संकल्प सं. जेड. 18020/19/97-औ. पा. प्रकोष्ठ, दिनांक 24 नवम्बर, 2000 का उपाबंध)

अनुसूची

औषधीय पादप बोर्ड के कार्य

सामान्य रूप से औषधीय पादपों के विकास और विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों में मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों से समन्वय करना :-

1. देश और विदेश, दोनों में औषधीय पादपों की मांग/आपूर्ति की स्थिति का निर्धारण।

2. औषधीय पादपों के विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित नीति संबंधी मामलों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सलाह देना।

3. खेती के लिए पर्याप्त भूमि और औषधीय पादपों को एकत्र करने, भंडारण, परिवहन के लिए आधारिक संरचना वाली एजेन्सियों द्वारा प्रस्ताव, योजनाएं और कार्यक्रम आदि तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

4. औषधीय पादपों की पहचान, सूचीकरण और परिमाणन।

5. औषधीय पादपों की बाह्यस्थाने/स्वस्थाने खेती और संरक्षण को बढ़ावा देना।

6. एकत्र करने वाले और उगाने वालों में सहयोगी प्रयास बढ़ाना और अपने उत्पाद के प्रभावशाली भंडारण, परिवहन और विपणन के लिए उनकी सहायता करना।

7. सूचीकरण, सूचना के प्रसार और जनता के अधिकार- क्षेत्र में मौजूद पादपों के चिकित्सीय उपयोग के लिए प्राप्त किए जा रहे पेटेन्टों के निवारण को सुकर बनाने के लिए डाटा बेस प्रणाली की स्थापना करना।

8. देश और विदेश में उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए विपणन के लिए बेहतर तकनीक को अपनाने सहित कच्ची सामग्री के आयात/निर्यात और बढ़ाई गई कीमत वाले उत्पादों से संबंधित मामले, चाहे वे औषधि के रूप में हों, खाद्य संपूरकों के रूप में हों अथवा हर्बल प्रसाधन सामग्री के रूप में हों।

9. वैज्ञानिक, तकनीकी अनुसंधान और कीमत के अनुरूप प्रभावकारिता का अध्ययन करना और करवाना।

10. खेती और गुणवत्ता-नियंत्रण के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना।

11. पेटेन्ट के अधिकार और बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा को प्रोत्साहन देना।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)

(Medicinal Plants Cell)

RESOLUTION

New Delhi, the 24th November, 2000

Subject : Setting up of "Medicinal Plants Board"

F. No. Z. 18020/19/97-M.P. CELL.—1. Whereas various Ministries/Departments and Organizations of the Govt. of India are dealing with various issues relating to medicinal plants, and a need has been felt to strengthen co-ordination and linkages relating to the activities taken up by individual stake holders; and wheres concern has been expressed about erosion and degradation of our resources, unsustained availability of quality raw drugs, high and fluctuating prices, improper marketing, lack of organized cultivation and the small share in the export market.

2. And whereas, after careful consideration, the Govt. of India is of the opinion that a national level body should be constituted to look after policy formulation, co-ordination with Ministries/Departments, ensuring sustained availability of medicinal plants and to co-ordinate all matters relating to their development and sustainable use.

3. Therefore, the Govt. of India have now decided to establish an independent body to be called the "Medicinal Plants Board" under the Chairpersonship of Minister of Health & Family Welfare and Minister of State for Health & Family Welfare as Vice-Chairperson and having the following other members:

(i) Secretary, Department of Indian Systems of Medicine & Homoeopathy; Secretary, Ministry of Environment & Forests; Secretary, Department of Scientific and Industrial Research; Secretary, Department of Bio-Technology; Secretary, Department of Science & Technology; Secretary, Deptt. of Commerce; Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion; Secretary, Department of

Expenditure; Secretary, Deptt. of Agriculture and Cooperation ; Secretary, Deptt. of Agricultural Research and Education and Secretary, Ministry of Tribal Affairs as ex-officio members.

(ii) Four nominated members having expertise in the field of medico-ethnobotany, pharmaceutical industry of ISM, marketing and trade, legal matters and patents.

(iii) Four nominated members representing exporters of ISM & H drugs, NGOs responsible for creating awareness and increasing availability of medicinal plants, growers of medicinal plants, research and development industry groups in the area of medicinal plants.

(iv) Two nominated members representing federations/co-operatives dealing with medicinal plants.

(v) One member from Research Councils of Department of Indian Systems of Medicines and Homoeopathy, one member from Pharmacopoeial Laboratory of Indian Medicines/Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad and two members representing State Governments (by rotation every two years).

(vi) Chief Executive Officer and Member-Secretary in the rank of Joint Secretary to the Govt. of India.

4 The Board shall be assisted by a Standing Finance Committee set up under the Chairpersonship of Secretary, Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.

5. The Medicinal Plants Board will have the authority to involve and assign the required matters to Departments/Organizations/State Governments engaged in cultivation of medicinal plants, research, demand and supply, patents/IPR, export/import etc. for its functioning. The Board shall start

functioning with the following committees drawn out of administrative/technical expertise provided by the concerned departments for respective committees immediately after notification of Resolution as indicated below:

(i) **Committee on Cultivation of Medicinal Plants including Conservation of rare and endangered species.**

- Commissioner (Horticulture), D/o Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture	Convenor
- Representative of Department of Indian Systems of Medicine & Homoeopathy	Member
- Representative of Ministry of Environment & Forests	Member
- Representative of Deptt. of Rural Development	Member
- Representative of DBT	Member
- Representative of ICAR	Member
- Representative of Ministry of Tribal Affairs / TRIFED	Member
- Representative of CSIR	Member

(ii) **Committee on Research**

- Adviser, Deptt. of Bio-Technology	Convenor
- Representative of Deptt. of Science & Technology	Member
- Representative of Deptt. of ISM & Homoeopathy	Member
- Representative of ICAR	Member
- Representative of Ministry of Environment & Forests	Member
- Representative of ICMR	Member
- Representative of CSIR	Member

(iii) **Committee on Demand and Supply**

- Adviser (Ay.), Deptt. of Indian Systems of Medicines and Homoeopathy	Convenor
Representative of Ministry of Commerce	Member
- Representative of Deptt. of Chemicals & Petro-chemicals	Member
- Representative of Ministry of Environment & Forests	Member
- Representative of Deptt. of Small Scale Industries	Member
- Representative of Ministry of Tribal Affairs / TRIFED	Member
- Representative of Ayurvedic Drugs Manufacturers Association, Mumbai and 4 industries selected on regional basis by the Chairman	Members

(iv) **Committee on Patents/IPR**

- Director, Department of Industrial Policy & Promotion or nominee	Convenor
- Representative of Deptt. of Science & Technology	Member
- Representative of Deptt. of ISM & Homoeopathy	Member
- Representative of Deptt. of Agriculture & Cooperation	Member
- Representative of Ministry of Environment & Forests	Member
- Representative of CSIR	Member
- Representative of NIC	Member

(v) **Committee on Export/Import**

- Ministry of Commerce (nominee)	Convenor
- Representative of Ministry of Environment & Forests	Member
- Representative of Deptt. of ISM & Homoeopathy	Member
- Representative of CHEMEXCIL, Mumbai	Member
- Representative of EXIM Bank	Member
- Representative of export agencies of Central/State Govt.	Member
- 4 Representatives of Industry on regional basis as decided by the Chairman	Members

6. The identified Departments shall also provide required administrative/technical staff support for functioning of the respective committees. The Board shall have powers to include any other concerned Department/Organization for functioning of these committees, as felt appropriate, in addition to those indicated above and authorize the Committee to engage consultants and contractual secretarial staff.

7. The Board will also have the authority to invite representatives from related organizations and from State Government as special invitees.

The Board shall have the authority to regulate its own procedure for performing the functions entrusted to it and can award work to Govt. and non-Govt. institutions to facilitate collection of data,

preparation of policy papers and promotive material. The Board shall have powers to appoint Consultants by a Resolution of the Board on the terms and conditions approved by the 6 Ministries/Departments, namely, Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy; Ministry of Environment & Forests; Department of Scientific & Industrial Research; Department of Expenditure; Department of Agriculture & Cooperation and Department of Agricultural Research & Education of the Govt. represented on the Board who will be competent to decide the qualifications, experience and remuneration of such Consultants and method of filling up the post. The Board may appoint such number of officers and staff as may be necessary subject to approval of Central Government and Government instructions on the subject.

The Board is also empowered to make investment in renting of space and office equipment within the overall budget of the Board subject to a ceiling of such expenditure being limited to a maximum of 10% of the budget for each year. The responsibilities of the Board have been detailed in the Schedule **annexed** to the Resolution.

8. The expenditure of the Board shall be borne by the Central Government, Department of Indian Systems of Medicine & Homoeopathy.

9. The Headquarters of the Board will be at New Delhi.

10. The Board shall be established and start functioning from the date of publication of this Resolution in the Official Gazette.

L PRASAD. Jt Secy.

ANNEXURE

(Annexure to Resolution No. Z. 18020/19/97-MP Cell, dated 24th November, 2000)

SCHEDULE

FUNCTIONS OF THE MEDICINAL PLANTS BOARD

Co-ordination with Ministries/Departments/Organizations/State/UT Governments for development of medicinal plants in general and specifically in the following fields:-

1. Assessment of demand/supply position relating to medicinal plants both within the country and abroad.

2. Advise concerned Ministries/Departments/Organizations/State/UT Governments on policy matters relating to schemes and programmes for development of medicinal plants.

3. Provide guidance in the formulation of proposals, schemes and programmes etc. to be taken-up by agencies having access to land for cultivation and infrastructure for collection, storage and transportation of medicinal plants.

4. Identification, inventorisation and quantification of medicinal plants.

5. Promotion of ex-situ/in-situ cultivation and conservation of medicinal plants.

6. Promotion of co-operative efforts among collectors and growers and assisting them to store, transport and market their produce effectively.

7. Setting up of data-base system for inventorisation, dissemination of information and facilitating the prevention of Patents being obtained for medicinal use of plants which is in the public domain.

8. Matters relating to import/export of raw material, as well as value added products either as medicine, food supplements or as herbal cosmetics including adoption of better techniques for marketing of product to increase their reputation for quality and reliability in the country and abroad.

9. Undertaking and awarding Scientific, Technological research and cost-effectiveness studies.

10. Development of protocols for cultivation and quality control.

11. Encouraging the Protection of patent Rights and IPR.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.